

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 233 / 2008
संस्थान दिनांक 03.06.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

सखाराम पिता छगनलाल कोचले,
आयु 45 वर्ष, निवासी-ग्राम घट्टी
थाना भगवानपुरा, जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 30.10.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 46 / 2008 अंतर्गत 279, 337, 338, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 03.06.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 27.08.2007 को 12:00 बजे नगरी माता मंदिर के आगे बिलवा रोड़ थाना क्षेत्र अंजड़ के अंतर्गत वाहन बस क्रमांक एम. पी. 09 एस. 8757 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बस में बैठी सवारियों का मानवजीवन संकटापन्न करते हुए बस को पलटी खिला दी जिससे बस में बैठी सवारियों का मानवजीवन संकटापन्न होने, उक्त वाहन में बैठी सवारी सुरेश, लालसिंग, त्रिलोक, पिकी, मोहन रोहने, यादव, प्रज्ञा, रामसिंग, राजा, छितरलाल, अपूर्व, रामसिंग तड़वी, कमलाबाई तड़वी, सीमा सोलंकी, दुरसिंग, डेठज्या, काशीराम, हजान बारेला, कोकनिया, रामा, रेखाबाई, विजय को उपहति कारित करने तथा कहारसिंग, प्रेमलाबाई को घोर उपहति कारित करने तथा झुमलीबाई की ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337 (22 शीर्ष), 338 (2 शीर्ष), 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 27.02.2008 को फरियादी सुरेश बड़वानी-घुलकोट बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 में सिरवेल जा रहा था। बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया व नकटी माता मंदिर के आगे बिलवा रोड़ पर पलटी खिला दी, जिससे सुरेश के गाल व पैर में चोटें आई तथा बस में बैठी अन्य 25-30 सवारियों को भी चोंटे आई तथा भी आहतों को अस्पताल लेकर गये तथा फिर बड़वानी रेफर किया। फरियादी सुरेश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 46/2008 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 35 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी सुरेशसिंह की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 31 बनाया। पुलिस ने पुलिस ने घटनास्थल से बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 को जप्त कर प्रदर्शपी 32 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के पेश करने पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 34 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्तव, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (22 शीर्ष), 338 (2 शीर्ष), 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.08.2007 को 12:00 बजे नगरी माता मंदिर के आगे बिलवा रोड़ थाना क्षेत्र अंजड़ के अंतर्गत बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8757 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बस में बैठी सवारियों का मानवजीवन संकटापन्न करते हुए बस को पलटी खिला दी जिससे बस में बैठी सवारियों का मानवजीवन संकटापन्न हुआ ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बस को पलटी लिखाकर बस में बैठी सवारी सुरेश, लालसिंग, त्रिलोक, पिकी, मोहन रोहने, यादव, प्रज्ञा, रामसिंग, राजा, छितरलाल, अपूर्व, रामसिंग तड़वी, कमलाबाई तड़वी, सीमा सोलंकी, दुरसिंग, डेठज्या, काशीराम, हजान बारेलाल, कोकनिया, रामा, रेखाबाई, विजय को उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बस को पलटी लिखाकर वाहन में बैठी सवारी कहारसिंग, प्रेमलाबाई को घोर उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बस को पलटी लिखाकर बस में बैठी सवारी झुमलीबाई की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी बालाजी (अ.सा.1), डॉ. राजेश जैन (अ.सा.2), गोबाजी (अ.सा.3), छितरलाल (अ.सा.4), काशीराम (अ.सा.5), रामा (अ.सा.6), प्रमिलाबाई (अ.सा.7), विजय (अ.सा.8), कहारसिंग (अ.सा.9), रेखाबाई (अ.सा.10), डॉ. गायत्री पंडित (अ.सा.11), आर.के. सिंह चौहान (अ.सा.12), रामसिंह (अ.सा.13), सीमा सोलंकी (अ.सा. 14) इल्लन उर्फ पीलू (अ.सा.15), पोखल्या (अ.सा.16) एवं सुरेश सिसोदिया (अ.सा.17) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी सुरेश सिसोदिया अ.सा 7 का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को दुर्घटना दिनांक से जानता है। वर्ष 2007 में वह प्रायवेट बस में बैठकर अंजड़ से खरगोन जा रहा था। अंजड़ में ही नकटी माता मंदिर के पास उक्त बस की दुर्घटना हुई थी। बस उस समय तेज गति से चल रही थी। उक्त बस को उपस्थित अभियुक्त चला रहा था। बस में और भी सवारियाँ थी। दुर्घटना में उसके गाल एवं पैर में चोटें आई थी तथा बस में बैठी सवारियों को भी चोटें लगी थी। बस पेड़ से टकराने से दुर्घटना हुई थी। उसने थाना अंजड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 35 की लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 32 के बी से बी भाग पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे बस का क्रमांक याद नहीं है तथा वाहन अंजड़ से चलते समय धीरे चल रही थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि नकटी माता मंदिर के पहले बस की गति तेज हो गई थी। उसने अभियुक्त से कहा भी था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल के पास मंदिर के पास मोड़ आता है, जहाँ वाहन की गति कम हो जाती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सड़क पर पाईप एवं गति अवरोधक तार लगे थे फिर भी बस की गति कम नहीं हुई थी। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि चलती हुई बस की कमानी टूट गई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने प्रदर्शपी 35 के कथन में बस पेड़ से टकराने की बात लिखा दी थी, यदि पुलिस ने नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को दुर्घटना के पूर्व से नहीं जानता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे अभियुक्त का नाम मालूम नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को न्यायालय में पहली बार देख रहा है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि बस चलते समय देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे बड़वानी न्यायालय में क्लेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है अथवा अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

8. मोहन असा 1 ने दिनांक 27.02.08 को अंजड़ से बस क्रमांक एम. पी. 09 एफ. 8758 में बैठकर खरगोन जाने एवं नकटी माता मंदिर के पास बस की गति तेज होने से बबूल के पेड़ से बस टकराने एवं बस में बैठी सवारियों को चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने चालक को देखा था जो उपस्थित अभियुक्त नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन मोड़ में धीमे चल रही थी और वाहन का स्टेयरिंग टूटा था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि वाहन की दुर्घटना स्टेयरिंग टूटने से हुई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह जहाँ बैठा था वहाँ से स्पीड मालूम पड़ रही थी।

9. यादव असा 3, छितर असा 4, काशीराम असा 5, रामा, असा 6, प्रमिलाबाई असा 7, विजय असा 8, कहारसिंह असा 9, रेखाबाई असा 10, रामसिंग असा 13, सीमा असा 14, इल्ला उर्फ बिलु असा 15, पोखलिया असा 16 ने भी बस की दुर्घटना में उनको चोंट आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी यादव असा 3 का यह भी कथन है कि बस के चालक ने बस को पेड़ से टकरा दी थी, जिससे बस पलटी खा गई थी और दुर्घटना के समय बस की गति बहुत तेज थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यादव असा. 3 ने कथन में बताया कि वह बस के मध्य में बैठा था तथा बस का कोई पूर्जा टूट गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। छितर असा 4 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि उपस्थित अभियुक्त बस चला रहा था लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया कि बस का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गड़डे के उपर से बस निकलते समय कमानी का पट्टा टूट गया था और साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बस सामान्य गति से चल रही थी। काशीराम असा 5, रामा असा 6, प्रमिलाबाई असा 7, विजय असा 8, कहारसिंह असा 9, रेखाबाई असा 10, इल्ला असा 15, पोखलिया असा 16 ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 2 के कथन में यह बताया था कि बस का चालक बस को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था।

10. डॉ. राजेश जैन असा 2 ने दिनांक 27.02.2008 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में झुमलीबाई पति फंगु आयु 60 वर्ष के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण होना बताया था तथा अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया है।

11. डॉ. गायत्री पंडित असा 11 ने दिनांक 27.02.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में थाना अंजड़ के आरक्षक आशीश द्वारा बस दुर्घटना में घायल पहाड़सिंग, रामसिंग, कमलाबाई, दूरसिंग, काशीराम, पोखलिया, त्रिलोक पिता जामसिंग, ठेडज्या, लालसिंग, मोहन, रेखाबाई, झुमलीबाई, मोहन, सीमाबाई, प्रज्ञा, रामा, राजा, छितरलाल, अपूर्व कुमार, पिकी, विजय, यादव, सुरेश का परीक्षण करने पर उन्हें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से चोंटें आना बताया है तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 लगायत प्रदर्शपी 28 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक 16.03.2008 को जिला चिकित्सालय बड़वानी से प्राप्त कहारसिंग की एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके बायें पैर के दोनों में अस्थि का भंग होना पाया था जिसका एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी भी प्रमाणित किया है।

12. आर.के.सिंह चौहान असा 12 का कथन है कि दिनांक 27.02.2008 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 46/2008 की विवेचना के दौरान घटनास्थल बिलवा रोड़ पर साक्षी विजय की निशांदेही से प्रदर्शपी 31 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज के लिए मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा था। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा घटनास्थल बिलवा रोड़ से वाहन बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 प्रदर्शपी 32 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उसने अभियुक्त के पेश करने पर बस क्रमांक. एम.पी. 09 एस. 8758 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 34 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये अथवा सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर की थी।

13. विद्वान ए.डी.पी.पी. ओ. का तर्क है कि प्रकरण के रिपोर्टकर्ता सुरेशसिंह असा 17 ने उपस्थित अभियुक्त की पहचान घटना दिनांक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में की थी तथा साक्षियों ने उस घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 32 भी लिखाई थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित होता है।

14. यह सही है कि सुरेशसिंह असा 17 ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान घटना दिनांक को बस चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की है, लेकिन साक्षी द्वारा लिखाई हुई प्रदर्शपी 35 की रिपोर्ट में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं है। बस में बैठी अन्य आहत सवारियों में यादव असा 3, छितर असा 4, काशीराम असा 5, रामा, असा 6, प्रमिला असा 7, विजय असा 8, कहारसिंह असा 9, रेखाबाई असा 10, रामसिंग असा 13, सीमा असा 14, इल्ला उर्फ बिलु असा 15, पोखलिया असा 16 ने अभियुक्त की पहचान वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है बल्कि उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि बस का चालक बस को धीमी गति से चला रहा था। मोहन असा 1 का यह भी कथन है कि उपस्थित अभियुक्त वह नहीं है जो घटना के समय बस चला रहा था। इस साक्षी ने वाहन चालक द्वारा धीमी चलाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं तो ऐसी स्थिति में सुरेश असा 17 के कथनों का समर्थन शेष आहत साक्षियों के कथन से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सुरेश असा 17 का कथन शंकास्पद हो जाते हैं कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को उक्त बस चला रहा था। सुरेश असा 17 ने न्यायालय कथन के दौरान बस का क्रमांक भी नहीं बताया था। ऐसी स्थिति में भी साक्षी के कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

15. बस में बैठे आहत साक्षियों ने स्पष्ट रूप से बस को मोड़ पर धीमी गति से चलना बताया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावेलपन से चलाकर बस में बैठी सवारियों का जीवन संकटापन्न बनाकर कहारसिंग एवं प्रेमलाबाई को घोर उपहति एवं शेष आहतों को उपहति कारित की अथवा झुमलीबाई की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त सखाराम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त सखाराम को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337 (22 शीर्ष), 338 (2 शीर्ष), 304-ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी. 09 एस. 8758 दिनांक 03.03.2015 को उसके पंजीकृत स्वामी आशाराम पिता छगनलाल निवासी— संजय नगर खरगोन म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी